

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1999 /12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 7/03, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

**Proposal No. - FP/UK/ROAD/145620/2021**

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग का पत्रांक 3356/12-1 दिनांक 25.02.2022  
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, द्वारा सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग थराली ने अपने पत्रांक 198/36सी० दिनांक 04.02.2022 से निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:-

क्र०	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
1.	On perusal of KML file it is noticed that village is already connected from the road. if the connectivity is required deep inside the village, the same can be proposed from nearby existing road instead of proposing new road from the dense forest area with proposed felling of 142 trees of important species. State Govt. may submit clarification in this regard and submit revised proposal accordingly.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चलियापानी तक किया जाना है, चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायणबगड़-परखाल-चोपता पर स्थिर है जो कि MRL (Major Road Link) की श्रेणी में है तथा दूसरा मोटर मार्ग परखाल नामक स्थान में ग्राम डुंग्री होते हुए ग्राम आलयू तक जाता है, इस मोटर मार्ग के End point से ग्राम आलयू की दूरी लगभग 500 मी० है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उद्देश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए चलियापानी नामक स्थान(नारायणबगड़ परखाल-चोपता मोटर मार्ग से जोड़ना है क्योंकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुड़ता है व इससे ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जिला मुख्यालय चमोली, राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। वही अगर ग्राम आलयू को नजदीकी Existing Road से जोड़ा जाता है तो ऐसा होने से ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों से दूरी लगभग 50-60 किमी० अधिक हो जायेगी। उक्त प्रस्ताव का गठन Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल चोपता) को जोड़ने हेतु किया गया है।
2.	State govt. is requested to submit the path distance from the starting point of village to the nearest existing road.	ग्राम आलयू की नजदीकी Existing Road के End point से पैदल दूरी 500मी० है।
3.	State Govt. is requested to submit the path distance from the starting point of village to the nearest existing road.	नजदीकी Existing Road से वैकल्पिक मार्ग के स्थिति जियोरेफरेन्स मैप में दर्शा दी गयी है।

क्रमशः पेज 02 पर

4.	The proceedings of Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting uploaded online is not properly scanned. State govt may upload the properly scanned copy of the SDLC meeting proceedings.	Sub-Divisional Level Committee (SDLC) की प्रति को भली-भांति स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
5.	As per the DSS analysis of the CA area proposed in civil soyam land, 3ha area found in MDF. Dfo may inspect the area submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per ha. can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted. State government may submit the DGPS map, shape file of the area for afforestation in the civil soyam land identified for raising compensatory afforestation.	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
6.	It is seen that the name of CA area is not mentioned in CA maps. State Govt. may upload the maps of the CA area mentioning the name of the CA area.	CA Map में वृक्षारोपण स्थल (डुंग्री सिविल) के नाम का उल्लेख कर अपलोड कर दिया गया है।
7.	Density mentioned is 0.3 for 142 trees in 1.383 ha area. appears less, State govt. may clarify and provide the correct information in this regard.	टंकण की त्रुटिवंश क्षेत्र का घनत्व 0.3 हो गया, जबकि क्षेत्र का घनत्व 0.4-0.5 है। संशोधित एन0पी0वी0 की आंकलन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8.	Name of CA area is not mentioned in CA shceme in part II. State Govt. mentioning the name of the CA area.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में स्थल का नाम उल्लेख कर दिया गया है।
9.	It is seen that plantation schemes of Rs. 2,76,600.00 and Rs. 32,19,977.00 prepared other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि 3 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।